निगरानी / टी.ए. / 1375 / 2005 / नागौर
रामूराम बनाम रामीदेवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री सूरज भान जैमन, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री हगामी लाल चौधरी, अभिभाषक प्रार्थी। (2) श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक अप्रार्थीगण **निर्णय** **दिनांकः 12–9–18** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, उपखण्ड अधिकारी मकराना के निर्णय दिनांक 18–11–04 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्यों अनुसार पक्षकरान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगणके बीच खसरा नम्बर 117 मौजा चाण्डी बावत उपखण्ड अधिकारी मकराना के समक्ष वाद संख्या 120 / 02 शीर्षक रामूराम बनाम बालूडी एवं दावा के साथ ही एक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 55 / 02 शीर्षक रामूराम बनाम बालूडी विचाराधीन हैं रहते अप्रार्थीगण रामूराम आदि की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10सीपीसी पेश किया। जिसका जबाव वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जिसे वाद सुनवाई अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 10 सीपीसी को अपने आदेश दिनांक 18–11–04 से खारिज कर दिया। जिसके विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। 3– अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराकर तर्क देते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए निगरानी को अन्दर मियाद मान कर निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया। 4– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से की गयी बहस का खण्डन कर मियाद के बिन्दु पर व गुणावगुण पर निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया। 5– निगरानी पर दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। 6— पत्रावली के अवलोकन से हम यह पाते है कि यह निगरानी इस न्यायालय में मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है । निगरानी के मियाद बाहर प्रस्तुत होने पर , मियाद को कण्डौन कराने के लिए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। न्यायहित में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों पर विश्वासकरते हुए उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार कर निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जाती है। मियाद पर हम यह पाते है कि प्रार्थीगण की ओर से अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष धारा 10 सीपीसी का प्रार्थनापत्र बावत अप्रार्थीगण द्वारा पश्चात वर्ती अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र मय कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने रेंसज्यूडिकेटा का प्रश्न मान कर खारिज कर दिया जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 11 सीपसीी रेसज्यूडिकेटा का नही होकर धारा 10 सीपीसी का प्रार्थनापत्र था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने गलत अर्थ लगाकर अपने अधिकार क्षेत्र का गलत उपयोग कर निगरानीधीन आदेश पारित किया है। चूॅकि परीक्षण न्यायालय के समक्ष पूर्व प्रार्थनापत्र एवं पश्चातवर्ती प्रार्थनापत्र में विवाद की विषय वस्तु एवं पक्षकार समान और विनाय प्रार्थनाप पत्र समान होने से पश्चातवर्ती प्रार्थनापत्र में कार्यवाही स्थगित किया जाना धारा 10सीपीसी के प्रावधानों के अनुरुप न्यायोचित था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त मानकर उक्त प्रार्थनापत्र को खारिज कर कानूनी त्रुटि की है। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत कानूनी नजीर आरबीजे (23) पेज 217 पेज 257 हस्तगत प्रकरण पर वखूबी चस्पा होती है। परिणामस्वप यह निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है। अतः उपरोक्त विवेचनके प्रकाश में हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी मकराना द्वारा पारित आदेश दिनांक	

निगरानी / टी.ए. / 1375 / 2005 / नागौर
रामूराम बनाम रामीदेवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	18–11–04 निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन पश्चातवर्ती अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र में कार्यवाही स्थगित किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सूरज भान जैमन)** **सदस्य**	